भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 328

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि

328. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि के लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं की संख्या का विशेषकर आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का विशेषकर आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के बारे में सूचना के प्रचार-प्रसार हेतु कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निधि संवितरण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विवादों के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या आवश्यक अनुमोदन और लाइसेंसों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं/उठाने की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि के अंतर्गत लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं की संख्या का आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि एक मांग-आधारित योजना है; इसलिए, इस योजना के तहत किसी भी राज्य के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता है।

(ग): अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, जिसे आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से पहल करता है। सूचना प्रसार के प्रमुख उपायों में निम्न शामिल हैं:

i. **वेबिनार और सहयोग**: स्टार्ट-अप तमिलनाडु जैसी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों से अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को वित्तीय सहायता के संबंध में शिक्षित करने के लिए वेबिनार की सुविधा मिलती है। नेहरू समूह, वेल टेक, एबलेस्ट शास्त्र, अमल ज्योति और भारतीय विज्ञान संस्थान के नवाचार केंद्र जैसे संस्थानों में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) के साथ वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

ii. **नियमित सहभागिता**: आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड उद्योग विशेषज्ञों, व्यापार संघों और संस्थानों के साथ हर महीने वेबिनार आयोजित करता है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 30 से अधिक सत्र आयोजित किए गए हैं।

iii. **कार्यक्रम में भागीदारी**: इस योजना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति केन्द्र सीआईआई, डीआईसीसीआई, स्टार्ट-अप इंडिया आदि द्वारा सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाता है।

iv. **विपणन और जागरूकता**: इस योजना को बहुभाषी ब्रोशर, राष्ट्रव्यापी विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाता है।

(घ): आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड के पास अपने प्रबंधित फंड के लिए एक शिकायत निवारण नीति और एक समर्पित ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल है। लाभार्थी ईमेल, व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप में या उक्त शिकायत पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों का निवारण उनकी प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ड.): आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड ने इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा के लिए फिनटेक पोर्टल शुरू किया है। आवेदक सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। यह पोर्टल आवेदन जमा करने से लेकर निधियों के वितरण तक की स्थिति की निगरानी करने के लिए एक सरलीकृत ट्रैकिंग तंत्र प्रदान करता है, जिससे टर्नअराउंड समय (टीएटी) में उल्लेखनीय रूप से कमी आती है और सुचारू रूप से सत्यापन प्रक्रिया की जाती है।

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 328 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	लाभार्थी कंपनी की संख्या	लाभार्थी महिला प्रमोटरों की संख्या	लाभार्थी कंपनी की संख्या	लाभार्थी महिला प्रमोटरों की संख्या	लाभार्थी कंपनी की संख्या	लाभार्थी महिला प्रमोटरों की सं ख्या	लाभार्थी कंपनी की संख्या	लाभार्थी महिला प्रमोटरों की संख्या	लाभार्थी कंपनी की संख्या	लाभार्थी महिला प्रमोटरों की संख्या
आंध्र प्रदेश	**1**	**1**	**1**	**1**	-	-	**2**	**2**	-	-
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2
कर्नाटक	-	-	1	-	1	1	1	2	1	4
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
महाराष्ट्र	5	3	2	3	3	1	5	2	7	6
पुदुचेरी	-	-	-	-	-		-	-	-	-
पंजाब	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
राजस्थान	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	-	-	5	4	-	-	1	1	-	-
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	--	-	-	1	-
उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	**9**	**7**	**11**	**9**	**6**	**3**	**14**	**19**	**14**	**14**

****